न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2024/166

मिसल नम्बर–51 / 2024

1.सिमरपाल कौर पत्नी स्व0 ईकबाल सिंह जाति जट सिक्ख निवासी अटवाल कॉम्पलेक्स पुलिस लाईन कोटा

2.आर0डी0 सिंह पुत्र श्री ईकबाल सिंह जाति जट सिक्ख निवासी अटवाल कॉम्पलेक्स पुलिस लाईन कोटा

3.हरमिन्दर सिंह पुत्र श्री ईकबाल सिंह जाति जट सिक्ख निवासी अटवाल कॉम्पलेक्स पुलिस लाईन कोटा

4.मनमीन कौर पुत्री ईकबाल सिंह जाति जट सिक्ख निवासी अटवाल कॉम्पलेक्स पुलिस लाईन कोटा

प्रार्थी।

बनाम

2.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु।)

दिनांक 31/12/2025

उपस्थितिः–

1.श्री बी0एल0 वर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

2.सरकार पैरोकार,।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कोटड़ी पटवार हल्का लाडपुरा में प्रार्थी क्रम 1 की खातेदारी व कब्जे एवं उपयोग उपभोग की आराजी खसरा नं0 407 / 287 पश्चिमी रकबा 0.0696 है0, खसरा नं0 408 / 287 पूर्वी रकबा 0.1285 है0 कुल 2 किता की 0.1981 है0 तथा प्रार्थी क्रम 2 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नं0 401 / 287 पूरब रकबा 0.1199 खसरा नम्बर 402 / 287 पशिचम रकबा 0.0412 हे0 कुल 2 किता की 0.1611 है० एवं प्रार्थी क्रम 3 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 287 की रकबा 0.36 है0 तथा प्रार्थी क्रम 4 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 404 / 287 पूर्वी रकबा 0.1235 है०, खसरा नम्बर 405 / 287 पश्चिम रकबा 0.1172 कुल 2 किता की 0.2407 हे० भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड नक्शे व मौके अनुसार एक दूसरे से लगी हुई है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कार्यालय जिला कलेक्टर (भूअभि०)

मे/निरी/2023/१७८

रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार है। किन्तु उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे अनुसार मौके पर सीमाज्ञान व सीमाचिन्ह स्पष्ट ना होने के कारण प्रार्थीगण की अन्य पडौसी खातेदारान से विवाद की स्थित बनी रहती है और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की उक्त भूमि का समुचित उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। ऐसी स्थित मे प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगडी करवाये जाना न्यायोचित व आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने एवं पत्थरगडी करवाये जाने से प्रार्थीगण की भूमि सीमा संबंधित स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और प्रार्थीगण मौके पर निशानात व पत्थरगढ़ी करवाकर बिना किसी विवाद के अपनी भूमि का समूचित उपयोग उपभोग कर सकेंगे। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह सम्मानीय न्यायालय की सहायता से अपनी रिकॉर्डड खातेदारी व कब्जेकाश्त की उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड, राजस्व नक्शे अनुसार सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगडी करवावें। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 407/287 पश्चिमी रकबा 0.0696 हे0 खसरा न० 408/287 पूर्वी रकबा 0.1285 हे0 कुल 2 किता की 1.98 है० तथा आराजी खसरा नम्बर 401/287 पूरब रकबा 0.1199 खसरा नम्बर 402/287 पश्चिम रकबा 0.0412 हे0 कुल 2 किता की 0.1611 है0 एवं आराजी खसरा नम्बर 287 की रकबा 0.36 है० तथा आराजी खसरा नम्बर 404/287 पूर्वी रकबा 0.1235 है0, खसरा नम्बर 405/287 पश्चिम रकबा 0.1172 कुल 2 किता की 0.2407 हे० वाके ग्राम कोटडी पटवार हल्का लाडपुरा भू०अभि0नि0क्षै० लाडपुरा जिला कोटा का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगडी करवाये जाने के आदेश प्रदान करें तथा साथ मे पुलिस इमदाद भी उपलब्ध करवाये जाने की कृपा करें।

प्रकरण में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित सक्षेपित तथ्य इस प्रकार हैं कि उक्त आराजीयात के पश्चिम दिशा में आ.नं. 399/286 (खातेदार रमेशचंद पुत्र दाखपदाब जाति वैष्णव) आ0नं0 400/286 (खातेदार तरूण चतुर्वेदी पुत्र दिलीप कुमार) व आ.नं. 396/286 अवस्थित है तथा इस दिशा में खातेदारान के यह सीमा विवाद है। उक्त खसरा नं0 के सम्बंध में प्र0सं0 214/2024 धारा 447 भा.द.संत्र थाना बोरखेड़ा जिला कोटा शहर में मामला दर्ज है। उक्त आराजीयात के मध्य से होकर पूर्व में नगर विकास न्यास कोटा द्वारा अधिग्रहित (बारां रोड से भामाशाह मण्डी 80 फीट बाईवास) किया हुआ मार्ग गुजरता है। जिसके निर्धारण हेतु पूर्व में कार्यालय भूप्रबंध अधिकारी कोटा के आदेश क्रमांक भू/भू.प्र. अ.को./य.2022/139–152 दिनांक 24.02.2023 तथा कार्यालय तहसीलदार (भू. अ.) तहसीलदार लाडपुरा कोटा के आदेश क्रमांक/एलआर/2023/653–657 दिनांक 28.03.2023 की पालना में गठित टीम व नगर विकास न्यास कोटा के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 29.03.2023 को डी0जी0पी0एस0 मशीन से सर्वे करवाया गया तथा उक्त खसरा नम्बरान व मौका स्थिति का सुपरइम्पोज नक्शा तैयार किया गया। ज्ञातव्य है कि उक्त आराजीयात सघन आबादी क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(शहरी क्षेत्र) में अवस्थित है तथा पारम्परिक सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी हेतु मुस्तकिल बिन्दुओं की न्यूनता है। उक्त आराजीयात वर्तमान सम्वत में कृषि कार्य हेतु उपयोग में नही लिए जा रहे है।

बाद रिपोर्ट दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराया।

बहस उपरान्त पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थना–पत्र तथा रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी का डी0जी0पी0एस0 सर्वे भू–प्रबंध विभाग, नगर विकास न्यास कोटा तथा तहसील लाडपुरा की संयुक्त टीम द्वारा किया जाकर सर्वे रिपोर्ट एवं नक्शा तैयार किया गया है। उक्त परिस्थितियों में जबकि प्रश्नगत खसरा नं0 के सम्बंध में सक्षम सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध है हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है। सीमाओं के विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढी किया जाना अति–आवश्यक प्रतीत होता हैं, जिससे मौके की शांति व्यवस्था भी बनी रहें। अतः प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता हैं कि ग्राम कोटडी पटवार हल्का लाडपुरा भू०अभि0नि0क्षै० लाडपुरा जिला कोटा के खसरा नम्बर 407/287 पश्चिमी रकबा 0.0696 हे0 खसरा न० 408/287 पूर्वी रकबा 0.1285 हे0 कुल 2 किता की 0.1981 है० तथा आराजी खसरा नम्बर 401/287 पूरब रकबा 0.1199 खसरा नम्बर 402/287 पश्चिम रकबा 0.0412 हे0 कुल 2 किता की 0.1611 है0 एवं आराजी खसरा नम्बर 287 की रकबा 0.36 है० तथा आराजी खसरा नम्बर 404/287 पूर्वी रकबा 0.1235 है0, खसरा नम्बर 405/287 पश्चिम रकबा 0.1172 कुल 2 किता की 0.2407 हे० का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिंनाकः 31/12/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा